न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद सं.– 142/21

उमेदसिंह पुत्र भींवसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. गुलाबकंवर पत्नि नथुसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. जगदीशसिंह पुत्र नथुसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. पृथ्वीसिंह पुत्र नथुसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. पपुसिंह पुत्र नथुसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. मनोहरसिंह पुत्र नथुसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. मालुसिंह पुत्र नथुसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. दीपसिंह पुत्र बुधसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. भवानीसिंह पुत्र बुधसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. मंगेजसिंह पुत्र बुधसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
10. मालुसिंह पुत्र बुधसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
11. राजुकंवर पुत्री बुधसिंह जाति राजपुत निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
12. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
13. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादी
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 01-04-2022

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 11 ग्यारह के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 268 दौ सौ अडसठ तादादी 0.3667 जीरो दसमलव तीन छः छः सात हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी की 1955/3667 एक हजार नौ सौ पचपन बट्टा तीन हजार छः सौ सडसठ हिस्सा भूमि है जो इस खसरा में दक्षिणी साईड में आई हुई है तथा जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 11 ग्यारह वादगत खेत को अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। सभी का अलग अलग कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 11 ग्यारह का खान–पान, रहन–सहन सब अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में सें अपनी हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 15.08.2021 को प्रतिवादीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादीगण साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 11 ग्यारह को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटें आदि स्वंय पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned by CamScanner

अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में अपना शपथ पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य में पेश शपथ–पत्र का अवलोकन किया गया। वादी ने वादगत भूमि में दक्षिणी साईड की अपनी हिस्सा भूमि अलग खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया है। वादी के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी के वाद को इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम बाढसर के खसरा संख्या 268 तादादी 0.3667 हेक्टेयर भूमि में दक्षिणी साईड की वादी की 1955/3667 हिस्सा भूमि अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक.... 01/04/22 .....को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner